अन्तिम डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

नानूराम बनाम हुकमाराम आदि

दावा बाबत :– विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न. 12/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु .... हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व विभाजन प्रस्ताव अनुसार इस प्रकार अन्तिम डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कल्याणसर के खसरा संख्या 585/187 रकबा 5.9564 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 2.9782 हेक्टेयर भूमि अकेले वादी नानूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर के अलग खातेदारी में दर्ज कर अलग से लगान कायम किया जावे तथा शेष 2.9782 हेक्टेयर भूमि हुकमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर के नाम खातेदारी में दर्ज कर लगान कायम किया जावे तथा मुताबिक रेकार्ड भूमि यथावत बैंक के रहन रखी जावे। विभाजन प्रस्ताव अनुसार नक्शा में तरमीम की जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अंतिम डिकी का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज कर अलग–अलग लगान कायम करने व नक्शा में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है तथा प्रतिवादी हुकमाराम को जरीये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वो वादी की भूमि में किसी प्रकार से दखल नहीं करें। खर्चा मुकदमा वादी स्वंय वहन करें। अन्तिम डिकी की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे।

चीज .... मुबलिग .... बाबत .... फीसदी सालाना आज की खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... को अदा करे। तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.03.2019

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी

ओहदा .... बीदासर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजहे सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर